राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/24162 दिनांक :– 14 अगस्त, 2020

:: आदेश ::

नोवल कोरोना वायरस (कोविड़–19) के संक्रमण, फैलाव एवं रोकथाम हेतु जनसाधारण के स्वास्थ्य एवं मानव जीवन की सुरक्षा के मध्यनजर कार्यालय के आदेश क्रमांक 24084 दिनांक 06.08.2020 से शहर के पुलिस थाना क्षेत्र सुभाष नगर के निम्न वर्णित क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू कर संबंधित सम्पूर्ण क्षेत्र में लॉकडाऊन घोषित किया गया हैं :–

क्र.सं.	पुलिस थाना क्षेत्र	Containment क्षेत्र	
		निम्न वर्णित क्षेत्र के मध्य की सम्पूर्ण सीमा में :–	
1	सुभाष नगर	अजमेर रोड पर	अजमेर चौराहा से सुखाडिया सर्किल तक
2		कोटा बाईपास रोड पर	सुखाडिया सर्किल से सांगोनर गांव चौराहे पर स्थित हजरत रमजान अली शाह दरगाह तक
3		नेहरू रोड पर	अजमेर चौराहे से सांगानेरी गेट तक
4		सांगानेर गांव रोड पर	सांगानेरी गेट से कोटा बाईपास रोड पर चौराहे पर स्थित हजरत रमजान अली शाह दरगाह तक

इस क्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अवगत कराया है कि उक्तानुसार प्रतिबन्धित सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर हाइपोक्लोराईड का स्प्रे करवाया जा चुका हैं, साथ ही सम्पूर्ण क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियो की स्क्रीनिंग की जाकर संक्रमित व्यक्तियों के निकट सम्पर्क, हाई रिस्क एवं सुपर स्प्रेडर श्रेणी के व्यक्तियों की सेम्पलिंग की जा चुकी हैं एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र में संक्रमण फैलने की सम्भावना नहीं हैं।

अतः इस संबंध में उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में जनसाधारण को संभावित असुविधा के मध्यनजर **मैं शिवप्रसाद एम. नकाते, (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा भीलवाड़ा शहर** के उक्त वर्णित प्रतिबन्धित क्षेत्र में **दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144** के तहत लागू **निषेधाज्ञा एवं लॉकडाऊन को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित करता हूं।**

भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिये कार्यालय स्तर से लागू निम्न आदेश यथावत रहेगें :–

आदेश क्रमांक 24027 दिनांक 04.08.2020	भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में **प्रत्येक रविवार** एवं प्रतिदिन **सांय 6.00 बजे एवं प्रातः 5.00 बजे तक** की अवधि के लिये **लॉकडाऊन।**
आदेश क्रमांक 24104 दिनांक 09.08.2020	1. भीलवाड़ा शहर में **संचालित सार्वजनिक पार्को में** (नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में) – **जनसाधारण का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित** रहेगा।

	2. भीलवाड़ा शहर में **रात्रि 8.30 तक** संचालित **समस्त रेस्टोरेन्ट, होटल (होटल बोर्डिंग के अतिरिक्त), भोजनालय, मिठाई की दुकाने, बेकरी, खोमचे, ज्यूस की दुकाने, पानी–पताशे एवं चाट–पकोडे के ठेले/दुकानें, पान एवं चाय की दुकानें, फेरी वाले** इत्यादि समान प्रकृति के व्यवसायों पर – **जनसाधारण द्वारा समस्त खान–पान की वस्तुओं का उपयोग एवं उपभोग विक्रय स्थल पर नहीं कर मात्र Take away/Home Delivery (ले जाना) अनुमत** होगा।
आदेश क्रमांक 24138 दिनांक 10.08.2020	1. भीलवाड़ा सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में संचालित **शराब की दुकानें राजस्थान आबकारी निति के अनुसार संचालित** हो सकेगी।
	2. भीलवाड़ा सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में **दुग्ध डेयरी से दुग्ध की आपूर्ति यथासम्भव होम डिलेवरी रात्रि 09.00 बजे तक** अनुमत होगी एवं दुग्ध आपूर्ति हेतु उपयोग में लिये जाने वाले डेयरी के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित नही रहेगा।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
08. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
10. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
11. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
12. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
15. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
16. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगो को एकत्र नही होने की सलाह देने की व्यवस्था की जावे।
17. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
18. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु। (द्वारा – जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा